न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार योगी

वाद सं. 65/2012

उनवान

1 अमरूदी देवी पुत्री हरनन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
2 मालीराम पुत्र हरनन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सोन्या पुत्र गाडा (मृतक दौराने दावा)
   1/1 धापा देवी पत्नी स्व. सोन्या
   1/2 मामराज पुत्र स्व. सोन्या
   1/3 संतोष पुत्र स्व. सोन्या
   1/4 बाबुलाल पुत्र स्व. सोन्या
   1/5 औमप्रकाश पुत्र स्व. सोन्या
   1/6 मदनलाल पुत्र स्व. सोन्या
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी गोरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   1/7 तीजा देवी पुत्री सोन्या पत्नी मालीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी पत्नी गोपाल
3. बीरबल पुत्र गोपाल
4. मुरली पुत्र गोपाल
5. बोदू पुत्र गोपाल
6. मदन पुत्र गोपाल
7. हनुमान पुत्र गोपाल
8. श्यामलाल पुत्र गोपाल
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
9. सरबती पुत्री गोपाल पत्नी महावीर, जाति मीणा, निवासी लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
10. चम्पा पुत्री गोपाल पत्नी रामलाल, जाति मीणा, निवासी लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
11. रामोवतार पुत्र छीतरमल, जाति गीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 28.11.2016

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पत्रावली पेश हुई। व.फ.उप0। वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण वाके ग्राम झीडा तहसील चौमूं जिला जयपुर के मूल निवासी हैं, जो ग्राम झीडा में स्थित अपनी शामिलाती खातेदारी भूमि में काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं।

वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का सामोद, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 135 के हाल खसरा नम्बर 455/1018 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 457 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0. 65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 1.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 560/1025 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447/1015 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 5.86 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का हिस्सा 2/9 भाग एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 के पिता स्व. गोपाल का हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी संख्या 11 का 1/9 हिस्सा निहित हैं। तथा खाता संख्या 136 के हाल खसरा नम्बर 452/1013 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458/1014 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0. 03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 598 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 व वादीगण की स्व. माता दाफा देवी के नाम से हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 के पिता/पति गोपाल के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज हैं, जो भूमिया ग्राम झीडा, पटवार हल्का सामोद में स्थित हैं, उक्त दोनो खसरा नम्बरान भूमियां ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त हैं, जिसको वाद पत्र में आगे चल कर ''भूमि विवादग्रस्त'' कहा गया हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार अर्से दराज से मनबट के आधार पर शामलाती में काश्त करते आ रहे है उक्त आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हुआ हैं, उक्त भूमि मौके पर शामलाती व अविभाजित है तथा उक्त भूमि की खातेदारी शामिलाती होने के कारण इस पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि व हिस्से पर हक व हिस्सा निहित हैं।

वर्तमान में भूमियों की कीमते बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के मन में बदनियति आ गई है और वह भू–माफियाओं से मिलीभगत कर भूमि विवादग्रस्त के विशिष्ठ भू–भाग जबरिया निर्माण कर कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर बेचान कर देना चाहते है, जिसका कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कतई कोई कानूनन हक अधिकार हासिल नहीं हैं।

वाद वादी बाबत तकासमा का डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्सों की खातेदारी का पृथक–पृथक पर्चा लगान कायम किया जावें।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 2 ता 13 बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी सं0 1/4 ने जबाब दावा प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

निवेदन किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित खातेदारी भूमि ग्राम झीडा तहत पटवार हल्का सामोद में स्थित होना व उनमें पक्षकारान की निहित हिस्सेदारी रिकॉर्ड का विषय होने से स्वीकार हैं। वादीगण द्वारा मद में वर्णित खातेदारी भूमियों को बिना किसी वैध आधार के विवादग्रस्त बताया हैं।

वाद पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है कतई गलत होने से अस्वीकार हैं। मन प्रतिवादी संख्या 1/4 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 श्री सोन्या द्वारा न तो कभी कथित रूप से विवादित खातेदारी भूमि में निहित अपने हिस्से को बेचान करने का इरादा जाहिर किया व ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण किया गया।

वाद पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार वर्णित किया गया है कतई गलत होने से अस्वीकार हैं। मद में वर्णित दिनांक 02.04.2012 को अथवा किसी अन्य दिवस मन उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता स्व0 श्री सोन्या/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मद में वर्णित प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया गया।

वाद पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है अस्वीकार है। मन प्रतिवादी संख्या 1/4, जो कि मुकदमे के प्रतिवादी संख्या 1 सोन्या पुत्र गाडा, जिनकी मृत्यु दिनांक 24.10.2014 को दौराने दावा हो चुकी है व बाद इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 सोन्या, बहैसियत विधिक वारिसान अपने भाईयों सहित अपने पिता के हक–हिस्से की कथित रूप से विवादित भूमि पर काबिज काश्त हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं, को पाबन्द कर दिया गया तो वादीगण मन प्रतिवादी के कब्जोकाश्त की अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे जिससे मन प्रतिवादी संख्या 1/4 सहित मृतक प्रतिवादी संख्या 1 सोन्या के विधिक वारिसान को अपूर्णीय क्षति हो जायेगी।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर मान्य न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र के जरिए चाहे गये अनुतोष अनुसार कथित रूप से विवादित खातेदारी भूमि वर्णित मद नम्बर 2 वाद पत्र का भली–बुरी के आधार पर विधिसम्मत विभाजन किया जाता हैं तो मन प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभ्यपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 व 1/5 ता 1/7 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 1/4 ने पूर्व मे जबाब दावा प्रस्तुत कर रखा है। शेष प्रतिवादी गण के विरूद्ध पूर्व मे एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जा चुकी है। पक्षकार वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। 1/1 लगायत 1/7 प्रतिवादी सं0 1 सोन्या के वारिसान है। वादग्रस्त आराजी का मकानात रहवास एवं आवागमन के रास्ते को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बाई मिटट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी सं0 1/4 ने भी इस बाबत् अपनी सहमति न्यायालय के समक्ष दी है।

अतः वादीगण का वाद पत्र प्रा0 डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि विवादीत आराजीयात ख0न0 455/1018, 457, 458, 553, 554, 555, 556, 560/1025, 570, 447/1015 कुल किता 10 का कुल रकबा 5.86 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 452/1013, 458/1014, 552, 569, 598, 602, 636, 637, 639, 456 कुल किता 10 का कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर वाके ग्राम झीडा तहसील चौमू जिला जयपुर का पक्षकरान् के मध्य उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मकानात, रहवास व रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करने के

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमू को मौका कमिशनर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिशनर बटवारें की दिनांक बाबत् पहले अपने स्तर पर पक्षकारान को सूचित कर बटवारा फैहरिस्त व नक्शा ट्रेस दो पडत में तैयार कर 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

प्रा. डिक्री जारी हो। प्रा. डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावें।

निर्णय आज तारीख 28.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

अशोक कुमार योगी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रारम्भिक डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास अशोक कुमार योगी आरएएस

1 अमरूदी देवी पुत्री हरनन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
2 मालीराम पुत्र हरनन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सोन्या पुत्र गाडा (मृतक दौराने दावा)
   1/1 धापा देवी पत्नी स्व. सोन्या
   1/2 मामराज पुत्र स्व. सोन्या
   1/3 संतोष पुत्र स्व. सोन्या
   1/4 बाबुलाल पुत्र स्व. सोन्या
   1/5 औमप्रकाश पुत्र स्व. सोन्या
   1/6 मदनलाल पुत्र स्व. सोन्या
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी गोरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   1/7 तीजा देवी पुत्री सोन्या पत्नी मालीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी पत्नी गोपाल
3. बीरबल पुत्र गोपाल
4. मुरली पुत्र गोपाल
5. बोदू पुत्र गोपाल
6. मदन पुत्र गोपाल
7. हनुमान पुत्र गोपाल
8. श्यामलाल पुत्र गोपाल
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
9. सरबती पुत्री गोपाल पत्नी महावीर, जाति मीणा, निवासी लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
10. चम्पा पुत्री गोपाल पत्नी रामलाल, जाति मीणा, निवासी लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
11. रामोवतार पुत्र छीतरमल, जाति गीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक महोदय, चौमॅू, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमॅू, जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट</u>

मुकदमा नं0 117/2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता

उपखण्ड अधिकारी चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

है व प्रा0 डिक्री दी जाती है कि :– विवादीत आराजीयात ख0न0 455/1018, 457, 458, 553, 554, 555, 556, 560/1025, 570, 447/1015 कुल किता 10 का कुल रकबा 5.86 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 452/1013, 458/1014, 552, 569, 598, 602, 636, 637, 639, 456 कुल किता 10 का कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर वाके ग्राम झीडा तहसील चौमू जिला जयपुर का पक्षकरान् के मध्य उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मकानात, रहवास व रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करने के आदेश दिये जाते है।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.11.2016 को जारी किया गया।

मोहर — उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, चौमू जिला–जयपुर

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी चौमूं (जयपुर)
ओहदा ....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	3			2	
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमू)
पीठासीन अधिकारी :–अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1 अमरूदी देवी पुत्री हरनन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
2 मालीराम पुत्र हरनन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सोन्या पुत्र गाडा (मृतक दौराने दावा)
   1/1 धापा देवी पत्नी स्व. सोन्या
   1/2 मामराज पुत्र स्व. सोन्या
   1/3 संतोष पुत्र स्व. सोन्या
   1/4 बाबुलाल पुत्र स्व. सोन्या
   1/5 औमप्रकाश पुत्र स्व. सोन्या
   1/6 मदनलाल पुत्र स्व. सोन्या
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तह. चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी गोरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
   1/7 तीजा देवी पुत्री सोन्या पत्नी मालीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी पत्नी गोपाल
3. बीरबल पुत्र गोपाल
4. मुरली पुत्र गोपाल
5. बोदू पुत्र गोपाल
6. मदन पुत्र गोपाल
7. हनुमान पुत्र गोपाल
8. श्यामलाल पुत्र गोपाल
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
9. सरबती पुत्री गोपाल पत्नी महावीर, जाति मीणा, निवासी लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
10. चम्पा पुत्री गोपाल पत्नी रामलाल, जाति मीणा, निवासी लापुआ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
11. रामोवतार पुत्र छीतरमल, जाति गीणा, निवासी ग्राम झीडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक महोदय, चौमॅू, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमॅू, जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :– **65/2012**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिकी दी जाती है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1/4 का प्रा0 पत्र 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का मन्दिर की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं मे आज तारीख 17.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	0		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner